36

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2006—तीन/2003 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 25—09—2003 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना, के प्रकरण क्रमांक 197/2001—02/अपील

.....

बृम्हानन्द पुत्र बद्रीप्रसाद
निवासी—विजयपुर, तहसील विजयपुर,
जिला—श्योपुर, म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

महिला रामदुलारी, पत्नी मुरारीलाल
निवासी—ग्राम गुलालई, तहसील सबलगढ़
हाल निवासी—एस0डी0एम0 कोर्ट के सामने
सबलगढ़, जिला—मुरैना, म0प्र0

..... अनावेदिका

.....

श्री श्रीकृष्ण शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
अनावेदिका पूर्व से एक पक्षीय है

.....

आदेश

(आज दिनांक 6-12-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 25—09—2003 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार विजयपुर ने ग्राम रनाबद की विवादित भूमि का नामांतरण अपने प्रकरण क्रमांक 9/98—99/अ—6 में पारित आदेश दिनांक 28.08.99 द्वारा मृतक भूमिस्वामी कंचनबाई के स्थान पर आवेदक का एवं अनावेदिका के नाम समान भाग पर स्वीकार किया गया ।

उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदिका रामदुलारी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, विजयपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने प्रकरण क्रमांक 1/1999–00/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 28.06.2002 द्वारा अपील स्वीकार करते हुये प्रकरण विचारण की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि मृतक कंचनबाई की एकमात्र वारिस अनावेदिका रामदुलारी है, अतः उसके नाम नामांतरण का आदेश पारित करें। अनुविभागीय अधिकारी, विजयपुर के इसी आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय में पेश की गई जो प्रकरण क्रमांक 197/2001–02/अपील में दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 25.09.2003 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को विधिसंगत मानते हुये आवेदक के द्वारा प्रस्तुत की गई अपील को ठोस आधार के आभाव में निरस्त किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि हिन्दू उत्तराधिकार विधान की धारा 15 यह प्रावधान करती है कि मृतक द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति के वास्ते उसके पुत्र–पुत्री व पति उत्तराधिकारी होगें। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि कंचनबाई की मृत्यु के समय उसकी दो पुत्रियां आवेदक की पत्नी कमलाबाई व अनावेदिका रामदुलारी जीवित थी। यदि कंचनबाई की मृत्यु के तुरंत पश्चात कंचनबाई की भूमि पर नामांतरण होता तो 1/2 भाग की कमलाबाई व 1/2 भाग की रामदुलारी उत्तराधिकारी होती और उनका राजस्व प्रलेख में नामांतरण होता। धारा 15(1) हिन्दू उत्तराधिकार विधान के अनुसार कमलाबाई की मृत्यु हो जाने पर कमला की पुत्र व पुत्री न होने से आवेदक उसके स्थान पर अपने नाम का नामांतरण कराने का अधिकारी हो जाता है। अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर एवं अपर आयुक्त द्वारा कमला की मृत्यु कंचन के पश्चात होने से कमला को वादित भूमि के 1/2 भाग के संबंध में अधिकार उत्पन्न हो जाना मान्य करना चाहिये था। नामांतरण हेतु आवेदन भले ही कमला की मृत्यु पश्चात उसके पति द्वारा पेश किया गया हो, क्योंकि नामांतरण केवल अभिलेख को शुद्ध रखने का लेख होता है किसी के स्वत्वों पर आघात नहीं करता है जैसा कि माननीय न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने कई न्याय दृष्टांतों में सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अपर आयुक्त द्वारा एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा न्यायालय तहसील का आदेश क्यों कर त्रुटिपूर्ण है, बावत कोई निष्कर्ष अपने निर्णयों नहीं में दिये है। अंत में आवेदक के अभिभाषक द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदिका को रजिस्टर्ड डाक से सूचना भेजे गये, परन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्को का अवलोकन किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अध्ययन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम रनाबद की विवादित भूमि की भूमिस्वामी मृतक कंचनबाई थी। कंचनबाई की दो पुत्रियां कमला बाई एवं रामदुलाई बाई थी। आवेदक ने हिन्दू उत्तराधिकार विधान की धारा 15 के अंतर्गत निर्मित प्रावधान का उल्लेख किया है, जिसमें धारा 15(1) हिन्दू उत्तराधिकार विधान के अनुसार कमलाबाई की मृत्यु हो जाने पर कमला की पुत्र व पुत्री न होने से आवेदक उसके स्थान पर अपने नाम का नामांतरण कराने का अधिकारी हो जाता है। यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(1) के अनुसार दोनों पुत्रियां ही एकमात्र वैध वारिस है, किन्तु नामांतरण के पूर्व कमलाबाई की मृत्यु हो जाने से धारा 15(2) के अनुसार एकमात्र वारिस रामदुलारी बचती है। इसी प्रावधान के परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी, विजयपुर द्वारा अनावेदिका के पक्ष में आदेश पारित किया है, जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त ने अपने विस्तृत आदेश में की है।

6/ अतः ऊपर वर्णित तथ्यों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना, के प्रकरण क्रमांक 197/2001–02/अपील में पारित आदेश 25–09–2003 विधिसंगत है । उसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । अतः न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना का आदेश स्थिर रखते हुये आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर